न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (R.T.S)

मिसल नं. ::: 10/2020

सरकार बनाम रामावतार, महेन्द्र कुमार, सीताराम पुत्रान अर्जुनराम जाति जाट, निवासी– देवरोड़

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 28.01.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान रामावतार, महेन्द्र कुमार, सीताराम पुत्रान अर्जुनराम जाति जाट निवासी देवरोड़ द्वारा रोही मौजा देवरोड़ की राजकीय भूमि ख.नं. 773/204 के कुल रकबा 8.90 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.06 है0 भूमि पर गेहुं व चना काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किये गये। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायलान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 18 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 08 पर
वर्ष 2019-20 में रूपये 18/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार सूरजगढ़